पत्रांक–3ए–1–मुक०–106/2014–...3759../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:–24/05/2018

विषय:– **बिहार निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन अवर निरीक्षक, उत्पाद का संवर्गीय नियमावली अधिसूचित होने के माह फरवरी, 2014 से वेतनमान संशोधित करने के संबंध में।**

बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग के मूल कोटि पद उत्पाद सिपाही के लिए संकल्प सं0–660 दिनांक:03/02/1999 के द्वारा रू० 2610–3540/– का वेतनमान् स्वीकृत किया गया। उत्पाद सिपाही महासंघ द्वारा बिहार पुलिस के मूल कोटि के वेतनमान् रू० 3050–4590/– की स्वीकृति हेतु सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–3990/2004 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक:–06/12/2005 को बिहार पुलिस के समान वेतनमान् स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया। इसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा एल०पी०ए०/एस०एल०पी० खारिज होने की स्थिति में दिनांक:– 01/01/1996 के प्रभाव से रु० 2610–3590 को संशोधित करते हुए रू० 3050–4590/– की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं०–630, दिनांक: 21/01/2010 के द्वारा दिनांक:–01/01/2006 के प्रभाव से उत्पाद सिपाही संवर्ग का अपुनरीक्षित वेतनमान निम्नवत् पुनरीक्षित किया गया :–

क्र० सं०	पदनाम	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1	उत्पाद सिपाही	3050–4590	पी०बी०–1+1900
2	सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद	3200–4900	पी०बी०–1+2000
3	अवर निरीक्षक, उत्पाद	4000–6000	पी०बी०–1+2400

3. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत वित्त विभागीय संकल्प सं0-8630 दिनांकः-17/09/2014 द्वारा उत्पाद सिपाही एवं सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद का वेतनमान बिहार पुलिस मूल कोटि (सिपाही) एवं पुलिस सहायक अवर निरीक्षक के अनुरूप क्रमशः पी०बी०-1+2000 एवं पी०बी०-1+2800 स्वीकृत किया गया। संशोधित वेतनमान् बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के प्रवृत्त होने की तिथि वाली माह से प्रदान की गयी।

4. उक्त निर्णय के पश्चात् माह फरवरी, 2014 से उत्पाद सिपाही, सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद एवं अवर निरीक्षक, उत्पाद का वेतनमान निम्नवत् हो गया :-

क्र० सं०	पदनाम	पुनरीक्षित वेतनमान
1	उत्पाद सिपाही	पी०बी०-1+2000
2	सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद	पी०बी०-1+2800
3	अवर निरीक्षक, उत्पाद	पी०बी०-1+2400

5. बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के अनुसार सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद से अवर निरीक्षक, उत्पाद के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है। उपर्युक्त कंडिका-4 से स्पष्ट है कि फरवरी, 2014 के प्रभाव से सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद का वेतनमान अवर निरीक्षक, उत्पाद के वेतनमान से ज्यादा हो गया, जो एक विसंगति है। यद्यपि राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में उक्त विसंगति को दूर करते हुए वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 के द्वारा दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद तथा अवर निरीक्षक, उत्पाद के लिए सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत क्रमशः वेतन स्तर-5 तथा वेतन स्तर-6 स्वीकृत किया गया है। किन्तु, प्रोन्नति का पद होने के बावजूद फरवरी, 2014 से अवर निरीक्षक, उत्पाद का वेतनमान सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद से कम होने के फलस्वरूप पूर्व में प्रोन्नति/एम०ए०सी०पी० के लाभ के क्रम में वेतन निर्धारण में विसंगति उत्पन्न हो रही है। उक्त विसंगति को दूर करने हेतु फरवरी, 2014 के प्रभाव से अवर निरीक्षक, उत्पाद के वेतनमान में संशोधन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

6. **सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि** निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन अवर निरीक्षक, उत्पाद का संवर्गीय नियमावली अधिसूचित होने के माह फरवरी, 2014 से पी०बी०-1+2400/- के स्थान पर पी०बी०-2+4200/- अनुमान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-106/2014 **-3759/वि०** पटना, दिनांक-**24/05/2018**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-106/2014 **-3759/वि०** पटना, दिनांक-**24/05/2018**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-106/2014 **-3759/वि०** पटना, दिनांक-**24/05/2018**

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।